न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 464

दिनांक 15/04/25

अनवान :–

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तोगाराम वगैरा	बनाम	चोलाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 16/2025

दिनांक : **15.04.2025**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा हुडो का तला के खेत खसरा सं. 366/192, 367/192, 368/212, 369/212, 370/212, 371/214, 372/215 रकबा क्रमशः 05.3418, 02.7519, 01.2141, 01.3759, 00.4532, 01.2950, 02.8652 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 465 to 466 दिनांक 15/04/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी तोगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चोलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.21 10:39:07 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन